झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
सी0 एम0 पी0 सं0–116 / 2019

बालेश्वरी देवी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची
3. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची
4. उप–सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची
5. क्षेत्रीय स्वास्थ्य उप–निदेशक, मदिनीनगर, पलामू
6. महालेखाकार, झारखण्ड, राँची
7. महालेखाकार, बिहार, पटना
8. श्रीमती आरती भट्टाचार्य .... विरोधी पक्ष

<u>कोरमः</u> माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री ओम प्रकाश तिवारी, अधिवक्ता।
राज्य के लिए : ए0ए0जी0 के ए0सी0।

03 / 28.06.2019 याचिकाकर्त्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्त्ता डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–2072 / 2018, जो दिनांक 23 अक्टूबर 2018 को दिए गए आदेश को अनुल्लंघनीय समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने में विफलता के कारण खारिज कर दिया गया था, की पुनःस्थापन की प्रार्थना कर रहा है।

याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रासंगिक पृष्ठ सं0 37 से 39 तक याचिकाकर्त्ता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सका क्योंकि वह लगभग 83 वर्ष की एक बीमार महिला है। इसलिए, त्रुटियों को दूर करने में हुई बिलंब जानबूझकर नहीं था। यदि रिट याचिका को पुनः स्थापित नहीं किया जाता है तो याचिकाकर्त्ता को अपूरणीय क्षेति होगी।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना का विरोध नहीं करते हैं।

आग्रह किए गए कारणों के मद्देनजर और पार्टियों के निवेदनों पर विचार करने के बाद, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–2072/2018 को पुनःस्थापित किया जाता है। रिट याचिका में बची हुई त्रुटियाँ, यदि कोई हो, को दो सप्ताह की अवधि के भीतर दूर किया जाय। इसके बाद, कार्यालय रिट याचिका को उपयुक्त शीर्षक के तहत उपयुक्त बेंच में सूचीबद्ध करें।

यह याचिका, तद्नुसार, निपटाई जाती है।

इस सी0एम0पी0 को दायर करने में हुई बिलंब को माफ करने के लिए दाखिल आई0ए0 सं0–2009/2019 पोषणीय नहीं है और इसलिए इसे, खारिज कर दिया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, जे0)